सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-346/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 08 सितम्बर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- गम्भीरपुर

लेखपाल गोली काण्ड में शामिल एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 01.09.20 को शाम 06.30 बजे लेखपाल अतुल यादव को रोहुआ मुस्तफाबाद थाना गम्भीरपुर के पास अपाचे सवार तीन बदमाश नाम पता अज्ञात द्वारा गोली मार कर मौके से फरार हो गये थे जिसके सम्बन्ध में लेखपाल अतुल यादव के पिता श्री राममूरत यादव पुत्र स्व0बेनी प्रसाद यादव सा0 बहादुरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के शिकायत के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 143/20 धारा 307 भादवि बनाम मोटर साईकिल सवार तीन बदमाश नाम पता अज्ञात के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ट पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में आज दिनांक 08.09. 2020 को प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह,व0उ0नि0 अभिषेक कुमार सिंह मय हमराहियान द्वारा वांछित अभियुक्तगणो की तलाश में मुहम्मदपुर में मौजूद थे कि मुखबिर ने सूचना दिया कि लेखपाल अतुल यादव गोलीकाण्ड में शामिल एक अभियुक्त कही जाने के लिए भागने की फिराक में आजमगढ़ वाराणसी राजमार्ग फरिहा मोड़ सैनिक ढाबा के पास घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटर साइकिल के साथ खड़ा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक गम्भीरपुर मय हमराह के फरिहा मोड़ सैनिक ढाबा के पास पहुचकर एक व्यक्ति को अपाचे मोटरसाईकिल (बिना नम्बर) के साथ समय करीब **06.00 बजे** प्रातः आवश्यक बल प्रयोग करते हुए पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम वीर प्रताप चौहान पुत्र यशवन्त ग्राम शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बताया। मौके पर तलाशी में अभियुक्त के पास से एक अदद पिस्टल. 32 बोर नाजायज व दो अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-150/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पुछताछ मे बताया कि पिछले चार-पाच वर्षो से मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ तथा लेखपाल अतुल यादव भी उस लड़की से बातचीत करने लगा तो उस लड़की से मैने अतुल यादव से बातचीत करने को मना किया लेकिन फिर भी अतुल यादव व उस लड़की में बातचीत होना बंद नहीं हुआ। इसी बात को लेकर मै लेखपाल अतुल यादव को रास्ते से हटाने की योजना बना रहा था कि दिनांक 01.09.20 को मैं आजमगढ़ में एक दुकान पर बैठा था तो तभी मेरा दोस्त सूरज गौड़ पुत्र दिनेश गौड़ ग्राम खूरसू खास थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ मुझ से

मिला तो बातचीत के दौरान मेरी उस लड़की के प्रति मायूसी देखने के बाद दोस्ती निभाने के लिए सूरज गौड़ ने किसी के पास फोन किया तो मैं व सूरज गौड़ इसी अपाचे मोटर साइकिल से आजमगढ़ से चलकर लेखपाल अतुल यादव का पता लगाते हुए बिन्द्रा बाजार पहुंचे जहाँ पर सूरज गौड़ का एक और मित्र मिला जो कि सूरज गौड़ के फोन करने पर आया था। जिसका नाम मैं नही जानता हूँ। हम तीनो लोग इसी अपाचे गाड़ी से योजना बनाते हुए एक राय होकर लेखपाल की हत्या करने के उद्देश्य से उसका पीछा करते हुए उसकी मोटर साइकिल के पीछे पीछे चलने लगे कि जैसे ही एकान्त स्थान मिला तो मैने अपने दोस्त सूरज गौड़ से कहा कि यही लेखपाल अतुल यादव है, गोली मार दे साले को, कि इतना कहते ही चलते –चलते सूरज गौड़ ने लेखपाल अतुल यादव को जान मारने की नियत से पिस्टल से गोली मार दी और पीछे बैठे तीसरे लड़के ने उसकी मोटर साइकिल में लात मार दी कि उसके बाद लेखपाल अतुल यादव रोड के किनारे मोटर साइकिल सहित गिर गया था । जो पिस्टल मेरे पास से बरामद हुई है उससे मैने अतुल यादव को मारने के लिए गोली नहीं चलायी थी क्योकि उस दिन मैं मोटर साइकिल चला रहा था। जिस पिस्टल से सूरज गौड़ ने अतुल यादव को गोली मारी है, उसके बारे में सूरज गौड़ को ही मालूम होगा।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 150/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त

वीर प्रताप चौहान पुत्र यशवन्त चौहान निवासी शाहगढ़, थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 143/20 धारा 307,504,506,34भादवि, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 150/20 धारा 3/25आर्म्स एक्टथाना गम्भीरपुर आजमगढ़

बरामदगी

1. एक अदद पिस्टल .32 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर
2. एक अदद अपाचे मोटर साइकिल बिना नम्बरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक गम्भीरपुर राकेश कुमार सिंह थाना गम्भीरपुर मय हमराह जनपद आजमगढ।

व0उ0नि0 अभिषेक कुमार सिंह थाना गम्भीरपुर मय हमराह जनपद आजमगढ।